कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 18 / 2025

श्री ऋषभ शर्मा पुत्र दिनेश चन्द शर्मा निवासी अनाह गेट, बजरिया जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.05.2025**

अपीलार्थी श्री ऋषभ शर्मा पुत्र दिनेश चन्द शर्मा निवासी अनाह गेट, बजरिया जिला भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 25 / 444 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से पत्र क्रमांक राजस्व / आर.टी.आई. / 12 / 12 / ( ) 2025 / 2849 दिनांक 28.05.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / आर.टी.आई. / 12 / 12 / ( )2025 / 2351 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा सम्बन्धित आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाव दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। साथ ही आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर